PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1180
B
11-11-22

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SCHEME

R.R. VALLEY

AT VILL. KANOTA TEH- BASSI, JAIPUR
KH. NO.-12,12/3,12/5,12/6,1145/12,1142/15

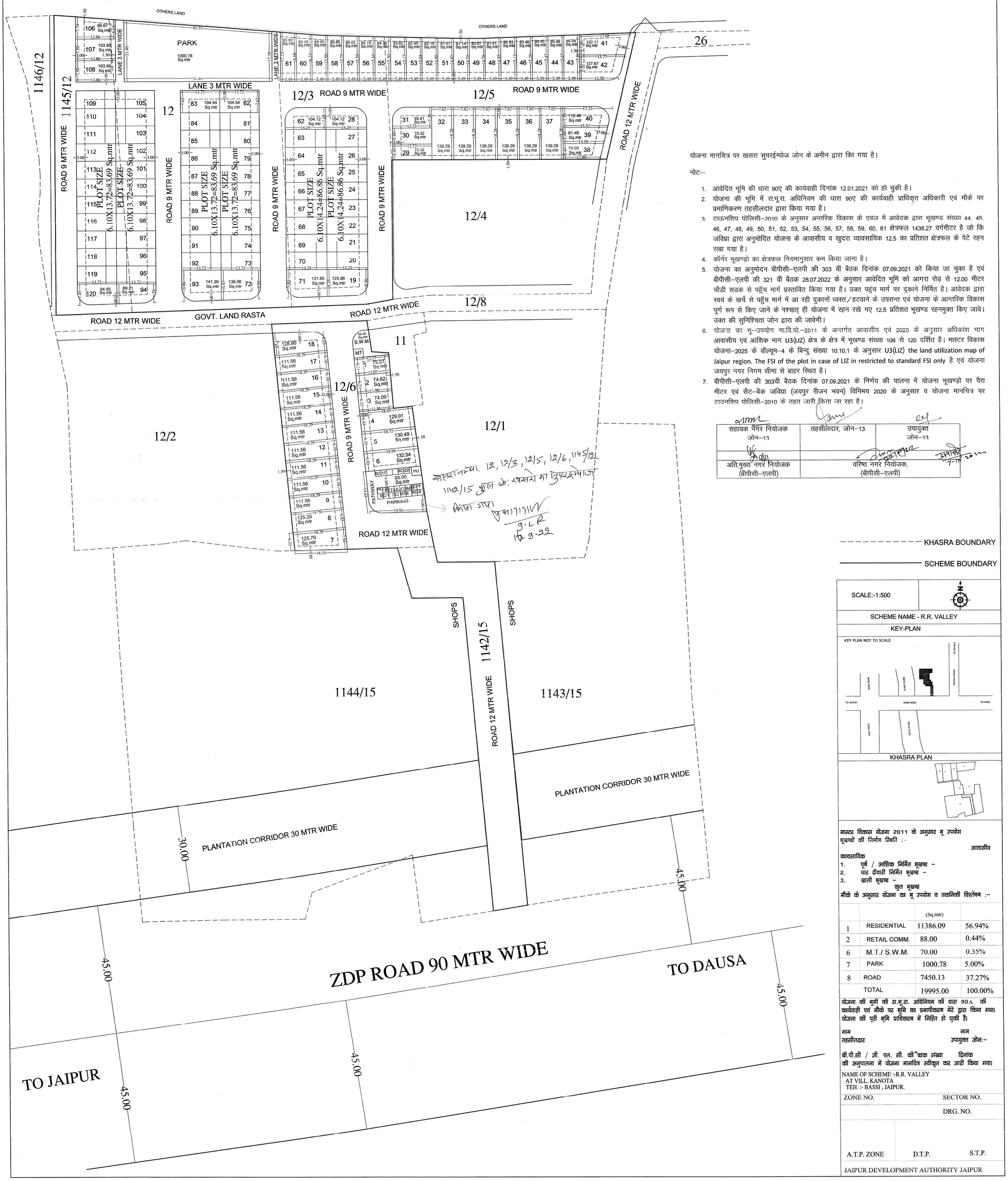

खसरानम्बर 12, 12/3, 12/5, 12/6, 1145/12, 1142/15 कुल ब: रकबसरा का सुपरइम्पोज़ किया गया

G.L.R 12-9-22

योजना मानचित्र पर खसरा सुपरईम्पोज जोन के अमीन द्वारा किा गया है।

नोटः–

1. आवेदित भूमि की धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक 12.01.2021 को हो चुकी है।
2. योजना की भूमि में रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी एवं मौके पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
3. टाऊनशिप पोलिसी–2010 के अनुसार अन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 क्षेत्रफल 1436.27 वर्गमीटर है जो कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित योजना के आवासीय व खुदरा व्यावसायिक 12.5 का प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है।
4. कॉर्नर भूखण्डो का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
5. योजना का अनुमोदन बीपीसी–एलपी की 303 वीं बैठक दिनांक 07.09.2021 को किया जा चुका है एवं बीपीसी–एलपी की 321 वीं बैठक 28.07.2022 के अनुसार आवेदित भूमि को आगरा रोड़ से 12.00 मीटर चौडी सडक से पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया गया है। उक्त पहुंच मार्ग पर दुकाने निर्मित है। आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे से पहुँच मार्ग में आ रही दुकानों ध्वस्त/हटवाने के उपरान्त एवं योजना के आन्तरिक विकास पूर्ण रूप से किए जाने के पश्चात् ही योजना में रहन रखे गए 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहनमुक्त किए जावे। उक्त की सुनिश्चिता जोन द्वारा की जावेगी।
6. योजना का भू–उपयोग मा.वि.यो.–2011 के अन्तर्गत आवासीय एवं 2025 के अनुसार अधिकांश भाग आवासीय एवं आंशिक भाग U3(LIZ) क्षेत्र के क्षेत्र में भूखण्ड संख्या 106 से 120 दर्शित है। मास्टर विकास योजना–2025 के वॉल्यूम–4 के बिन्दु संख्या 10.10.1 के अनुसार U3(LIZ) the land utilization map of Jaipur region. The FSI of the plot in case of LIZ in restricted to standard FSI only है एवं योजना जयपुर नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है।
7. बीपीसी–एलपी की 303वी बैठक दिनांक 07.09.2021 के निर्णय की पालना में योजना भूखण्डो पर पैरा मीटर एवं सैट–बैक जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनिमय 2020 के अनुसार व योजना मानचित्र पर टाउनशिप पोलिसी–2010 के तहत जारी किया जा रहा है।

सहायक नगर नियोजक जोन–13	तहसीलदार, जोन–13
अति.मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी)	वरिष्ठ नगर नियोजक, (बीपीसी–एलपी)

उपायुक्त
जोन–13
7-11-2022

KHASRA BOUNDARY

SCHEME BOUNDARY

SCALE:-1:500

N

SCHEME NAME - R.R. VALLEY

KEY-PLAN

KEY PLAN NOT TO SCALE

KHASRA PLAN

माश्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :–

आवासीय
व्यावसायिक
1. पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड –
2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड –
3. खाली भूखण्ड –

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनिकी विश्लेषण :–

		(Sq.mtr)	
1	RESIDENTIAL	11386.09	56.94%
2	RETAIL COMM.	88.00	0.44%
6	M.T./ S.W.M.	70.00	0.35%
7	PARK	1000.78	5.00%
8	ROAD	7450.13	37.27%
	TOTAL	19995.00	100.00%

योजना की भूमी की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमापीकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जोन:–

बी.पी.सी / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SCHEME :-R.R. VALLEY
AT VILL. KANOTA
TEH. :- BASSI , JAIPUR.

ZONE NO. SECTOR NO.

DRG. NO.

A.T.P. ZONE D.T.P. S.T.P.

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT